

Date: 30/06/2021

To,
National Stock Exchange of India Limited
Bandra- Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 015

Company Name: Rudrabhishek Enterprises Limited; Symbol: REPL

Subject: Newspaper clipping of standalone and consolidated financial Results for the Quarter and year ended 31st March 2021.

Dear Sir/Mam,

Please find attached herewith copy of Newspaper clipping published in English and Hindi newspapers of standalone & consolidated financial Results for the quarter and year ended 31st March 2021

This is for your information & records.

Thanking you

Yours faithfully

For RUDRABHISHEK ENTERPRISES LIMITED


VIKAS GUPTA
COMPANY SECRETARY



Rudrabhishek Enterprises Limited
820, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg,
Connaught Place, New Delhi-110001, India
Ph. No.: +91-11-41069500, 43509305

30 जनसत्ता, 30 जून, 2021

अधिनियम के अध्याय XX के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विधानप (कंपनी अधिनियम, 2013 की बारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रिकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसार में)

1. सूचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की बारा 366 की उप बारा (2) के अनुसार में रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कंपोेंट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईएफटी मानेसर, जिला गुडगांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, को एक आवेदन पत्रह दिनां के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की **‘विशु एडवर्ट-3 सातेदारी** को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XX के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।

2. कंपनी के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं:

कंपनी के प्रमुख उद्देश्य **विश्विय वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर, एसएमएस पैगम, सोशल मीडिया ऐप्लेशमें और बल्क एसएमएस सेवाओं आदि के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग** है।

3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद शासन की प्रतिनिधि का निर्वाचन **105 ए फसली मॉडिल कनिष्क कर्माशियल कंोन्सल्ट, प्लॉट नं. 3 एलएससी तैनी एन्क्लेव दिल्ली-110092** स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।

4. सूचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आधारित है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सूचना के सफलजन के दफ्तरीय दिन के भीतर **रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कंपोेंट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईएफटी मानेसर, जिला गुडगांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050**, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भी भेज दें।

आवेदको के नाम हस्ता /-
1. श्री मनीष शर्मा (साक्षेदार)
2. श्री अचल शर्मा (साक्षेदार)
3. श्री साहित जसूजा (साक्षेदार)

तिथि : 29 जून 2021

स्थान : नई दिल्ली

SRM ENERGY LIMITED									
Regd. Office: 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi 110057									
CIN: L17100DL1985PLC303047 TEL. NO. +91-011-41403205 Website: www.srmenergy.in Email: info@srmenergy.in									
Extract of Standalone and Consolidated Audited Results for the Quarter and Year Ended 31/03/2021									
(₹ in lac)									
Sl No.	Particulars	Quarter ending (Audited) 31/03/2021	Quarter ending (Audited) 31/03/2020	Year ending (Audited) 31/03/2021	Year ending (Audited) 31/03/2020	Quarter ending (Audited) 31/03/2021	Quarter ending (Audited) 31/03/2020	Year ending (Audited) 31/03/2021	Year ending (Audited) 31/03/2020
1	Other Income	0.05	8.53	0.09	8.53	1.85	9.84	12.17	13.30
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(13.23)	(0.88)	(42.95)	(36.12)	73.71	(547.12)	(2,077.10)	(3,063.88)
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(13.23)	(0.88)	(42.95)	(36.12)	73.71	(547.12)	(2,077.10)	(3,063.88)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(13.23)	(0.88)	(42.95)	(36.12)	71.71	(547.12)	(2,079.10)	(3,063.88)
5	Total comprehensive income for the period (Comprehensive Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(13.23)	(0.88)	(42.95)	(36.12)	71.71	(547.12)	(2,079.10)	(3,063.88)
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00
7	Other equity			(1,154.04)	(1,111.10)			(5,126.80)	(4,448.98)
8	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-								
1. Basic		(0.15)	(0.01)	(0.47)	(0.40)	0.79	(6.04)	(22.95)	(33.82)
2. Diluted		(0.15)	(0.01)	(0.47)	(0.40)	0.79	(6.04)	(22.95)	(33.82)

NOTES:-
a) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2021 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results is available on the stock exchange website www.bseindia.com or on the company website www.srmenergy.in
b) The above Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on June 29, 2021.

For and On behalf of Board

Sd/-

Vishal Rastogi

Managing Director

Place: New Delhi

Date: June 29, 2021

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

Together We Can

प्रधान कार्यालय: संख्या 112, जे सी रोड , बेंगलूर-560 002

(जारी...)			
	नकद और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी + डी)	58291.29	2058.58
	प्रारंभिक नकद और नकद तुल्य	120575.10	66531.24
	अंतिम नकदी और नकद तुल्य	178866.39	68589.82

टिप्पणियाँ :

- नकद प्रवाह विवरणी आंतरिक विधि के तहत तैयार किया गया है और जहां आवश्यक है, आंकड़ों को फिर से समीचीकृत किया गया है।
- नकद और संचयन सस्काओं में नकदी, भारिबैंकें और अन्य बैंकों में शेष और मांग व अल्पसूचना पर राशि शामिल हैं।
- 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के आकड़े पूर्ण समामेलन अवधि के स्टैंडअलेन केनरा बैंक वित्तीय स्थिति से संबंधित हैं, इसलिए 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन के बाद की वित्तीय स्थिति के साथ तुलनीय नहीं है।
- नकद प्रवाह में परिवर्तनियों और देयताओं में परिवर्तन समामेलन के कारण 01.04.2020 को प्रारंभिक तुलन पत्र पर विचार करने के बाद है।

(₹ करोड़ में)

नकद व नकद तुल्य के मदक	31-Mar-21	1-Apr-20	31-Mar-20
आरबीआई में शेष व नकद	43115.95	22572.96	22572.96
बैंक में शेष और मांग व अल्पसूचना पर राशि	135750.44	46016.86	46016.86
जोड़ें : भारिबैंकें में नकदी एवं शेष (ई सिंडिकेटेड बैंक)	-	15370.55	-
जोड़ें : बैंकों में शेष और मांग व अल्पसूचना पर राशि (ई सिंडिकेटेड बैंक)	-	36614.73	-
कुल	178866.39	120575.10	68589.82

आर महेंद्रगुप्त	के शिवरामकृष्णन	अरविंद कुमार
मंडल प्रबंधक	मंडल प्रबंधक	सहायक महा प्रबंधक
एस के मजूमदार	ए मणिमोखले	सी रामचंद्र
महा प्रबंधक	कार्यालयक निदेशक	मुख्य महाप्रबंधक
के सत्यनारायण राजु	एस वी प्रभाकर	देवाशीष मुखर्जी
कार्यालयक निदेशक	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यावली अधिकारी	कार्यालयक निदेशक
सुधीरद मिश्रा	आर केशवन	बिप्लव वी शर्मा
निदेशक	निदेशक	निदेशक
समरसंख्यक विधि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार	समरसंख्यक विधि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार	समरसंख्यक विधि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुने डी के छत्रर एंड कं.	कुने एस एन के एंड कं.	कुने एस एन के एंड कं.
संनदी लेखाकार	संनदी लेखाकार	संनदी लेखाकार
एक आर एन 3014138ई	एक आर एन 109176इयन्यु	एक आर एन 109176इयन्यु
(जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रा)	(अंकिता दी दानावाहा)	(अंकिता दी दानावाहा)
सामोदर	सामोदर	सामोदर
सदरव्या सं. 217012	सदरव्या सं. 119972	सदरव्या सं. 119972
कुने एन के भार्गव एंड कंपनी	कुने राव एंड एम्पार	कुने राव एंड एम्पार
संनदी लेखाकार	संनदी लेखाकार	संनदी लेखाकार
एक आर एन 000429एन	एक आर एन 003084एन	एक आर एन 003084एन
(एन के भार्गव)	(प्रवीण वी जे)	(प्रवीण वी जे)
सामोदर	सामोदर	सामोदर
सदरव्या सं. 080624	सदरव्या सं. 215713	सदरव्या सं. 215713

हस्ताक्षर का स्थान: बेंगलूर
रिपोर्ट की तिथि: 18 मई 2021

सेवा में,
केनरा बैंक के सदस्य
समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

- हमने केनरा बैंक (बीक) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक समेकित तुलन पत्र, तब समाप्त हुए वर्ष के लिए संचय और हानि खाते का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के संरांशके साथ समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी प्रदान की गई है जिसमें निम्न को शामिल किया गया है:
 - बीक के लेखापरीक्षित परिणाम जो कि हमारे साथ सभी चार सांघिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षित हैं;
 - अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा 09 अप्रैलमें, 01 सितंबर उत्तम और 01 सहाग्री संस्थान के लेखापरीक्षित परिणाम; तथा
 - 04 सहाग्री संस्थानों के गैर लेखा परीक्षित परिणाम।

बीक के साथ उपरोक्त संस्थाओं को 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

- हमारी राय, हमारी जानकारी और हमें दिए गए रचरीकरण के अनुसार और अनुमियों, सहायोगियों और संयुक्त उत्तम की अलग-अलग वित्तीय वित्तरियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोेटर विचार के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई सहायक कंपनियों / सहायोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्राधान्यों के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीआई) द्वारा जारी किए गए लेखापत्रक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समझ-समझ पर जारी किए गए परिणों, दिशानिर्देशों और निर्देशों (आरबीआई दिशानिर्देश) जो बैंक की समेकित स्थिति, यथा 31 मार्च, 2021 तक समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और उसके समेकित नकदी प्रवाह के मामले में, जो भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय के लिए आधार

- हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीआई) द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों (लेखा परीक्षा) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुमान की लेखापरीक्षा के लिए लेखाकार की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीआई द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सज्ज हो रखते हैं, साथ में नैतिक आवश्यकताओं को भारत में वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमारे इन आवश्यकताओं और आधार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

- मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे फेसवर निष्पक्ष में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों को समझ रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और इस पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सुचित करने के लिए नीचे दिए गए मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को निवारित किया है:

क्रमांक	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले पर प्रतिक्रिया
1	अग्रिमों के संबंध में प्राधान्यों की पर्याप्तता। आरबीआई द्वारा जारी किए गए विनियमों मानदण्डों के अनुसार अग्रिमों को अर्जक और अर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के अग्रिमों पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और प्राधान्य के निम्नानु की पहचान में उपायवाक्यों के प्रदर्शन, सुझाव का निवारण आदि से संबंधित प्रमुख नियम शामिल हैं। प्रत्यक्ष, हमारे लेखापरीक्षा को आय की माध्याम, पर संघर्ष भीषणता और प्रबंधन अनुमानों की संश्लिष्टता के कारण अग्रिमों से संबंधित प्राधान्य और प्राधान्य करने में उपयोग की जानेवाली प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का परीक्षण किया।	प्रमुख लेखापरीक्षा क्रियाक हमने अर्जक परिसंपत्तियों की पहचान करने और प्रदान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया। • गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए पहचान और प्राधान्य करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के संरचना का मूल्यांकन। • भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एपीए की पहचान करने और प्राधान्य करने में उपयोग की जानेवाली प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का परीक्षण किया। • आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदण्ड के अनुसार एपीए की पहचान और आवश्यक प्राधान्य की पर्याप्तता के लिए प्रबंधन अनुमानों और निगमों का मूल्यांकन और परीक्षा किया। • आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान और प्राधान्य की जाँच की। • हमारी लेखापरीक्षा क्रियाक्यों के दौरान देखे गए अपवादों को निश्चित सुझाव गया है।

2	भाइरदार सहित वित्तीय रिपोेटर क्रियाक्या में उपयोज की गई प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली (रलेक्स समूह – ओरेकल आधारित) । बैंक की परिचालन और वित्तीय क्रियाएँ बड़ी मात्रा में लेन देन के कारण आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं, जिन्हें दैनिक आधारपर संचालित किया जाता है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना जाता है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षा निम्नलिखित है : • लेखापरीक्षा अघि के दौरान बैंक के आईटी निर्वंजन वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। • एन्क्लेकन, अग्रिम निर्वंजन सहित बैंक के बुनियादी आईटी निर्वंजनों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की जो परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोेटर के लिए महत्वपूर्ण हैं। • प्रमुख आईएन लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और आईएन निर्वंजन केअनुपालन पर आईएन विभात के साथ बर्दा की। • ट्रेटर बंद आधार पर लेखापरीक्षा के लिए मुख्य रचबांजित और व्यावसायिक चक्र निर्वंजन और प्रासंगिक प्रणाली जमित रिपोर्ट का परीक्षण किया जाता है। • बैंक ने तीतरों पर के डोमेन विशेषज्ञ के माध्यम से सिरटम की भाइरदार की लेखापरीक्षा की है और हमने इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट पर धरोता किया है।	प्रधान लेखा परीक्षा क्रियाक्या : हमने एक मूल्यांकन क्रियांजित किया और मुख्य आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और ऑपरेटिंग प्रणाली को हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, की पहचान की और सीधीए, बीएपीएल रिपोेटिंग पैकेज और ट्रेजरी प्रणाली को प्राथमिक रूप से वित्तीय रिपोेटिंग के लिए प्रासंगिक होने की पहचान की। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षा निम्नलिखित है : • लेखापरीक्षा अघि के दौरान बैंक के आईटी निर्वंजन वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। • एन्क्लेकन, अग्रिम निर्वंजन सहित बैंक के बुनियादी आईटी निर्वंजनों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की जो परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोेटिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • प्रमुख आईएन लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और आईएन निर्वंजन केअनुपालन पर आईएन विभात के साथ बर्दा की। • ट्रेटर बंद आधार पर लेखापरीक्षा के लिए मुख्य रचबांजित और व्यावसायिक चक्र निर्वंजन और प्रासंगिक प्रणाली जमित रिपोर्ट का परीक्षण किया जाता है। • बैंक ने तीतरों पर के डोमेन विशेषज्ञ के माध्यम से सिरटम की भाइरदार की लेखापरीक्षा की है और हमने इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट पर धरोता किया है।
3	कोडिड-19 के प्रकोप को देखते हुए संशोधित लेखा क्रियाएँ: कोडिड –19 महामारी की दूसरी लहर के काय, विभिन्न राज्य सरकारों / स्थानीय प्रशासन द्वारा लाँकडाउन और अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे और हमने ऑडिट की अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में बढ़ते कोडिड मामलों के चलते हम कुछ शाखाओं/अंवल कार्यालयों/प्रशासकीय/कोरिप्ट कार्यालयों के संशोधित कार्यालयों में भीौतिक रूप से दौरा करके लेखापरीक्षा क्रियाक्यों को पूरा नहीं कर सके। जहां भीौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्मन, ईमेल और रिपोेट एक्सेस के माध्यम से सीधीए, बीएपीएल और अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक रिर्काई / रिपोेट / दस्तावेज / प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए थे। इसके चलते, लेखापरीक्षा क्रियाक्या को ऐसे दस्तावेजों, रिपोेट और रिर्काई के आधार पर किया गया है जो हमें उपलब्ध कराए गए थे, जो कि लेखापरीक्षा के संचालन के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में और वर्तमान अवधि के लिए रिपोेटिंग हेतु प्रयुक्त किये गये थे। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा क्रियाक्यों को दूरस्थ रूप से करने के लिए संशोधित किया गया था। जैसा कि हम शाखाओं / अंवलों / प्रशासनिक / कोरिप्ट कार्यालयों में अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत / भीौतिक रूप से बर्बाओं और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके, हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा क्रियाक्यों की एक प्रमुख लेखापरीक्षा मेटर के रूप में तैयार किया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा क्रियाक्यों को दूरस्थ रूप से करने के लिए संशोधित किया गया था।	प्रधान लेखापरीक्षा क्रियाक्या : कोडिड–19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण विभिन्न राज्य सरकारों / स्थानीय प्रशासन द्वारा लाँकडाउन और अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे और हमने ऑडिट की अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में बढ़ते कोडिड मामलों के चलते हम कुछ शाखाओं/अंवल कार्यालयों/प्रशासकीय/कोरिप्ट कार्यालयों के संशोधित कार्यालयों में भीौतिक रूप से दौरा करके लेखापरीक्षा क्रियाक्यों को पूरा नहीं कर सके। जहां भीौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्मन, ईमेल और रिपोेट एक्सेस के माध्यम से सीधीए, बीएपीएल और अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक रिर्काई / रिपोेट / दस्तावेज / प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए थे। इसके चलते, लेखापरीक्षा क्रियाक्या को ऐसे दस्तावेजों, रिपोेट और रिर्काई के आधार पर किया गया है जो हमें उपलब्ध कराए गए थे, जो कि लेखापरीक्षा के संचालन के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में और वर्तमान अवधि के लिए रिपोेटिंग हेतु प्रयुक्त किये गये थे। तदनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा क्रियाक्यों को इस प्रकार संशोधित किया: - का. हम, वैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों और मुख्य सहायक शाखा लेखापरीक्षाकोंने रिपोेट एक्सेस / ईमेल के माध्यम से कुछ शाखाओं/अंवल कार्यालयों/ प्रशासनिक कार्यालयों और बैंक के अन्य कार्यालयों के संबंध में जहां भीौतिक संचालन संभव नहीं था, आवश्यक रिर्काई / दस्तावेजों / सीधीए / बीएपीएल और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का इंस्टेड्राफिक रूप से संचालन किया। ख. बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर रिपोेट एक्सेस के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, कानों, प्रमाणपत्रों संबंधित अघिलेखों की स्कैन की गई प्रतियों का संचालन किया। ग. वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से पुष्टताछ करना और आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाना और स्कैन कौल / ऑफेंसिव कौल, ईमेल और इसी तरह के संचार कैनलों पर संचार और बर्षा करना। घ. नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बातचीत के बजाय टेलीफोन के माध्यम से / ईमेल के माध्यम से हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संचालन।

विषय की अपचाराणा:

- अनुपरी सूचना 18 के खंड 6.25 के साथ संल्य समेकित वित्तीय विवरणों की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वर्तमान तिमाही और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़ों में बैंक के साथ समामेलन पूर्ववर्ती सिंडिकेटेड बैंक के कार्यावर संचालन पर इसके प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन का वर्णन करता है। संबंधिता वर्ष के आंकड़े समामेलन पूर्व केनरा बैंक के हैं और इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती है।
- अनुपरी सूचना 18 के खंड 6.17 के साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की और ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कोडिड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं और बैंक के कार्यावर संचालन पर इसके प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन का वर्णन करता है।

इस मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

- अन्य सूचनाओं के लिए बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारी में नई पूर्वी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत संलग्न III के प्रकटीकरण शामिल हैं (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं), कोरिप्ट प्रशासन रिपोर्ट, जिसे हमने इस लेखापरीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त किया था और निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमारे लेखापरीक्षा रिपोर्टों की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इसके बाद आभासन निष्कर्ष को किसी भी रूप में व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब यह उपलब्ध हो जाए, तो उसपर बर्दाई गई अन्य जानकारी को चूंँ और ऐसा करते समय विचार करें कि वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ अन्य जानकारी भीौतिक रूप से असंशत तो नहीं है अन्यथा भीौतिक रूप से स्वतः प्रकृत तो नहीं हो रही है।

अगर, हमने इस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री सलाह है, तो हमें जान लेंगे कि रिपोर्ट कलना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए शासन प्रभार प्राप्त व्यक्तियों और प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

- आईसीआईआई द्वारा जारी लेखा पत्रक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्राधान्य और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैंक) द्वारा समय समय पर जारी परिणों और दिशानिर्देशों सहित अमली पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। बैंक के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और उसके सहायोगियों में शामिल कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ समूह की परिचरियों की मुखश के लिए और घोषाधरी सहा अन्य अभियानित्वां रोमने और पला लगने के लिए अधिनियम के प्राधान्यों के अनुसार पारित लेखा रिर्काई के रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का सम्य और आवेदन, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पारित आंतरिक वित्तीय निर्वंजनों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए लेखांकन के प्रासंगिक रिर्काई की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोगित हैं, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और घोषाधरी या डुटि के कारण भीौतिक डुटियों से मुक्त हैं, निस्वत्ता उपयोग बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, जैसा कि पूर्व में कहा गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित समूह और उसके सहाग्री कंपनियों के निदेशक मंडल शामिल हैं और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ समूह और उसके सहायोगियों की क्षमता का आकलन करने और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को वर्तमान हितों के विषय के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदार हैं, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, वर्तमान हितों से संबंधित मामलों और संशोधित मामलों के हितों के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो समूह को समझ करने या संभालने को रोमने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई व्यावसायी विवरण नहीं है।

समूह और उसके सहायोगियों में